



“1914 से विश्वास का प्रतीक”

बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०

अशोक राजपथ, पटना - 800 004

**The Bihar State Co-operative Bank Ltd.**

Ashok Raj Path, Patna – 800004

## अल्पकालीन निविदा

सर्वसाधारण में सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक 02.11.2021 के मद संख्या 07 में लिए गए निर्णय में प्रदत्त अनुमति के क्रम में बैंक के 06 शाखाओं में लगे नाबाई द्वारा प्रायोजित VORTEX ATM के स्थान पर Buyback के आधार पर NCR Self Serve 22E/ NCR Self Serve 21/ NCR Self Serve 23/ NCR Self Serve 28 model में से किसी एक के 07 नए ATM क्रय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी शर्तें निम्नवत हैं:-

1. निविदा दिनांक 18.05.2022 के प्रातः10:00 बजे से 31.05.2022 के अपराहण 05:00 बजे तक निविदा बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० के प्रबंध निदेशक कोषांग में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त का तकनीकी बिड 03.06.2022 को अपराहण 03:00बजे तथा फाइनैसियल बिड 07.06.2022 को अपराहण 03:00 बजे बैंक के क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी।
2. निविदादाता द्वारा 06 VORTEX ATM के Buy Back आधार पर 07 नए ATM प्रदान किया जाना है। उक्त के लिए निविदादाता उपरोक्त अंकित NCR के सभी मॉडल का फाइनैसियल समर्पित करेंगे।
3. निविदादाता द्वारा नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
4. निविदादाता द्वारा बैंक स्विच वेंडर से समंजस्य स्थापित करते हुए ATM लगाये जाने का पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका व्यय (यदि कोई हो), निविदादाता को देना होगा।
5. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क के रूप में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, अशोक राजपथ, पटना-800004 के पक्ष में कुल ₹०1,180/- (1000+180 gst) देय होगा।
6. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरो में सभी प्रकार का व्यय यथा- Installation, transportation, labour charge, etc सम्मिलित होंगे।
7. निविदादाता द्वारा अंकन ₹०50.00 हजार मात्र की EMD(धरोहर राशि) बैंक के पक्ष में डी०डी० अथवा बैंक के पक्ष में बंधक FD के रूप में जमा करना होगा। उक्त राशि सभी ATM के सुचारु रूप से कार्य प्रारंभ होने के छः माह के उपरांत ही अवमुक्त की जाएगी।
8. निविदादाता को TAN,PAN,GST इत्यादि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदादाता को अंकन 100.00₹ के stamp paper पर गोपनीयता ना भंग किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. बैंक उक्त निविदा को किसी भी वक्त रद्द करने का अधिकार रखता है।

प्रबंध निदेशक